न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 31/2017
दायर दिनांक : 18.05.2017

अनवान

1. शम्भूनाथ पिता देबीनाथ जाति जोगी निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।

––प्रार्थी

बनाम

1. रोहनलाल पिता केसरलाल जाति महाजन निवासी धामणिया तहसील माण्डलगढ़।
2. महावीर कुमार पिता मिश्रीलाल जाति कोठारी निवासी भीलवाड़ा। मृतक जरिये प्रतिनिधि
   2/1 शकुन्तलादेवी पत्नि महावीर जैन
   2/2 सोनू पिता महावीर जैन
   2/3 ज्योति पुत्री महावीर जैन
   2/4 श्रुति पुत्री महावीर जैन
   2/5 मीना पुत्री महावीर जैन
3. नन्दलाल पिता मिश्रीलाल जाति कोठारी निवासी भीलवाड़ा।
4. सुरेशकुमार पिता मिश्रीलाल जाति कोठारी निवासी भीलवाड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री गिरधारीलाल आचार्य (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री राजकुमार आमेटा (अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1)
3. श्री रांदीप शर्मा (अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 17.03.2021

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धामणिया पटवार हल्का धामणिया में स्थित आराजी संख्या 2206/306 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी पर पैदल सजबैल ट्रेक्टर से आने जाने का एक मात्र 12 फिट चौड़ा कदीमी समय से रास्ता ग्राम धामणिया से चलकर आबादी भूमि खसरा नम्बर 389 गे0मु0 रास्ते से 2281/2004 गे0मु0 सड़क उसके बाद खसरा नम्बर 2179/2004 गे0मु0 नहर के सहारे सहारे होते हुये विपक्षी संख्या 2 से 4 तक की आराजी नम्बर 2293/306 की पूर्वी मेर तक पहुँचता है। फिर इसी आराजी की पूर्वी मेर पर होते हुये विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 2024/306 के दक्षिणी पूर्वी कोने [illegible] नम्बर 2024/306 के दक्षिणी पूर्वी कोने तक रास्ता चालु है। आराजी नम्बर 2024/[illegible] की [illegible] मेर पर प्रवेश कर जाता है जहां रास्ता मौजूद था। जिसको [illegible] दिया। उक्त आराजी पर करीब 12 फीट चोडा रास्ता मौजूद [illegible] आराजी नम्बर 2205/306 खसरा नम्बर 2024/306 तीनो दि[illegible] घिरी हुई है। इसी चाह के पूर्वी दिशा में यह रास्ता मौजूद है। इसी रास्ते को बन्द कर दिया। उक्त रास्ते [illegible] अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। जिससे प्रार्थीया का अपनी जमीन पर पहुँचना असम्भव हो गया। ऐसी स्थिति में उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थीया नियमानुसार डी.एल.सी. दर जमा कराने को तैयार है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 2206/306 पर पहुँचने के लिए विपक्षी संख्या की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 2205/306, 2024/306 की पूर्वी मेर पर रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhar
Date: 2021.04.12 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

दिनांक 18.05.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 12.02.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। दिनांक 07.08.2018 को विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 की और से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया जिसे स्वीकार किया गया। जिसमें कथन किया कि दिनांक 06.02.2018 को विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 की तलबी में नियत थी लेकिन उक्त विपक्षी अनाज के व्यापारी होने के कारण उक्त दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नही हो सके जो कि एक मानवीय भूलवश हुआ है। दिनांक 12.03.2018 को न्यायालय द्वारा विपक्षी संख्या 2 से 4 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। जिसे विपक्षी संख्या 2 से 4 ने एक पक्षीय कार्यवाही का निरस्त करवाने तथा उक्त विपक्षी को पुनः पक्षकार बनाने के लिए निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन अप्रार्थी गणों को तलब किया गया। दिनांक 14.05.2019 को विपक्षी संख्या 1 की और से इकबाली जवाबदावा पेश किया गया। जवाब में कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध गलत एवं झूठा दावा प्रस्तुत किया है। प्रार्थी की आराजी नम्बर 2206/306 पर जाने के लिए जो रास्ता बताया गया है वहा रास्ता मौजूद ही नही है। प्रार्थी के अनसुार आराजी नम्बर 389 गे.मु. रास्ता से 2281/2004 गे0मु0 सड़क है राजस्व रिकॉर्ड में हमारी जानकारी में नही है। प्रार्थी ने दस्तावेज नही प्रस्तुत नही किये। आराजी नम्बर 2179/2004 गे0मु0 नहर के सहारे होते हुये विपक्षी संख्या 2 से 4 की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी नम्बर 2293/306 की पूर्वी मेर पर होते हुए विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी नम्बर 2024/306 के दक्षिण पूर्वी कोने तक पहुँचता है। प्रार्थी द्वारा दिये गये सारे तथ्य गलत है। आराजी नम्बर 389 वहा आसपास नही है। न ही विपक्षी संख्या 2 से 4 की खातेदारी में आराजी नम्बर 2293/306 की भूमि का नक्शे में कोई वर्णन है। आराजी नम्बर 2179/2004 गे0मु0 नहर है न की रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नहर दर्ज है। उसको प्रार्थनापत्र में आवश्यक पक्षकारन ही बनाया गया है जबकि वह आवश्यक पक्षकार मुकदमा है। अब्दुल रहमान बनाम भारत संघ के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नदी, नाले, तालाब, नहर इत्यादि में किसी प्रकार का दखल नही किया जा सकता है। और न ही इन में रास्ता दिया जा सकता है। ऐसे में वहा कोई रास्ता उपलब्ध नही है। इस आधार पर प्रार्थनापत्र खारीज किया जावें। और नए रास्ते अथवा पूर्व में मौजूद रास्ते को चौड़ा करने के प्रावधान दिये है। जबकि प्रार्थी ने आराजी संख्या 389 से लेकर प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 2206/306 पर जाने हेतु रास्ता मौजूद होने का कथन किया है लेकिन प्रार्थी के प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार किसी प्रकार से लागू नही होते है। आराजी नम्बर 2093/306 की पूर्वी मेर जोकि विपक्षी संख्या 2 से 4 तक से विपक्षी संख्या 1 द्वारा वर्षो पूर्व खरीद ली गई है जिसकी लिखतम है। उस पर विपक्षी संख्या 2 से 4 का कब्जा नही है। विपक्षी संख्या 1 की आराजी के दक्षिणी पूर्वी भाग में कुऑ मौजूद है उसके ऊपर से रास्ता नही दिया जा सकता है। और उत्तर की तरफ से विपक्षी की भूमि के दो हिस्से हो जाते है जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से रूप्यो में नही की जा सकती है। इसलिए रास्ता बन्द करने का तो प्रश्न ही नही है। प्रार्थी की खातेदारी में रास्ता मौजूद है जिसका उपयोग प्रार्थी हर वर्ष फसल की बुवाई करते समय करता है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि में कोई रास्ता उपल्बध नही है। प्रार्थी ने अपनी भूमि का मूल्य बढ़ाने व अनावश्यक परेशान करने की नियत से दावा किया है जो खारीज योग्य है।

दिनांक 14.05.2019 को विपक्षी संख्या 2 लगायत 4 की की और से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया। जवाब में कथन किया कि आराजी नम्बर 389 गे0मृ0 रास्ता मौजूद ही नही है। व आराजी नम्बर 2281/2004 गे0मु0 सड़क रेकॉर्ड [illegible] विपक्षीगण को जानकारी में नही है। आराजी नम्बर 2179/2004 पर नहर होने [illegible] 2293/306 पर किसी प्रकार का किसी भी मेर पर रास्ता नही है। [illegible] उपयोग कभी भी किय ।गया नही है। प्रार्थी आराजी [illegible] आराजी नम्बर 306 में प्रवेश कर आराजी नम्बर 309/1, [illegible] के सहारे सहारे होता हुआ आ0न0 309/2, 309 की पूर्वी भुजा के सहारे सहारे चलकर [illegible] की दक्षिणी भुजा पर से अपनी आराजी में आ जा रहा है। प्रार्थी अनावश्यक परेशान करने की नियत से विपक्षी संख्या 2 से 4 को पक्षकार बनाया है।प्रार्थनापत्र खारीज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 12.12.2019 को पटवारी धामनिया द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि आराजी नम्बर 2206/306 पर पहुँचने के लिए राजस्व रेकॉर्ड में रास्ता दर्ज नही है। ग्राम धामनिया से आमली सड़क से आराजी नम्बर 2179/2004 गे0मु0 नहर पर होकर आगे 2093/306 व 2024/306 मे होकर अपनी आराजी में पहुँचना चाहता है। मौके

उपखण्ड अधिकारी

पर आराजी नम्बर 2024/306 के दक्षीणी पूर्वी कोने तक रास्ता चालु हालात में है। आराजी नम्बर 2024/306 के दक्षीणी पूर्वी कोने पर कुआँ व मकान स्थित होने से नक्शे में लाल स्याही में बताये गये रास्ते अनुसार रास्ता दिया जा सकता है। आराजी नम्बर 2093/306 में 03 बिस्वा व 2024/306 में 09 बिस्वा कुल 12 बिस्वा भूमि रास्ते के उपयोग में आती है। 390060 प्रति बीघा से डी.एल.सी. दर 234036 बनती है। दगुनी राशि 468072 बनती है।

दिनांक 19.12.2019 को विपक्षीगण की और से आपत्ती प्रार्थनापत्र पेश किया गया जिसमे बताया गया कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार माण्डलगढ़ व राजस्व कर्मचारियो द्वारा मौका निरिक्षण के समय श्रीमान के आदेश की अवहेलना कर मनमकसद तैयार की गई है। विपक्षीगण की उपस्थिति में मौका निरिक्षण नही किया गयाहै। राजस्व रेकॉर्ड एवं मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी नम्बर 2179/2004 नहर के रूप में दर्ज है। आराजी नम्बर 2025/306 आ0चा0 आराजी नम्बर 2024/306 की पूर्वी दक्षिणी भाग पर स्थित है तथा आराजी नम्बर 2025/306 की दक्षिणी भुजा के सहारे सहारे रास्ता दिया जाता है। तो विपक्षी की आराजी दो भागो में विभाजित हो जायेगी जो प्रावधानो के विपरित है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मौका निरिक्षण विपक्षीगण उपस्थिति में दोबारा दिखाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

दिनांक 09.01.2020 को पुनः पटवारी रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें कथन किया गया कि पूर्व में प्रेषित रिपोर्ट पर आक्षेप करने से न्यायालय के आदेशो की पालना में पुनः पक्षकारान की मौजूदगी में पूर्व सूचना देकर मौका निरिक्षण किया गया। राजस्व रेकॉर्ड का अवलोकन करने पर वादी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुतम रास्ता नही पाया गया। रास्ता दिये जाने पर वादी द्वारा चाहे गये रास्ते से तुलनात्मक दृष्टि से लघुतम होता है। वादी द्वारा 310, 309/1 में रास्ता नही चाहा गया है।

दिनांक 06.02.2020 को विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जाहिर किया कि विपक्षी संख्या 2 की मृत्यु हो चुकी है अतः पत्रावली कायम मुकाम प्रार्थनापत्र एवं जवाब प्रार्थनापत्र हेतु दिनांक 20.02.2020 को नियत की गई। दिनांक 17.12.2021 को अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के तहत कायम मुकाम बनाये जाने हेतु पेश किया जिसकी नकल अधिवक्ता अप्रार्थी दिलाई गई। अप्रार्थी अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 2 महावीर जैन के कायम मुकाम वारिसान की और से अधिकार पत्र [illegible] किया गया जिसे शामिल फाईल किया गया।

दिनांक 20.02.2020 को तहसीलदार माण्डल[illegible] से रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि पर पंहूचने के लिये राज[illegible] मौके पर रास्ता नही है। वादी द्वारा चाहा गाया रास्ता लघुतम नही है। प्रथम [illegible] वादी ग्राम धामणिया पटवार हल्का धामणिया की आबादी भूमि से निकलकर [illegible] की सडक पर होते हुये आराजी संख्या 2179/2004 जो सिंचाई विभाग के नाम किस्म [illegible] नहर दर्ज रिकार्ड है में होता हुआ आराजी संख्या 2193/306 जो प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] के नाम दर्ज है। कि पूर्वी मेर पर होता हुआ आराजी संख्या 2024/306 जो प्रतिवादी सोहनलाल पिता केसरीमल महाजन के नाम दर्ज है। कि पूर्वी मेर पर होता हुआ वादी अपनी [illegible] पर पंहूचना चाहता है। आराजी संख्या 2093/306 जो प्रतिवादी संख्या 2 से [illegible] के नाम [illegible] मौके पर रास्ता खुलासा है। आराजी संख्या 2024/306 जो प्रतिवादी सोहनलाल पिता केसरीमल महाजन के नाम दर्ज है की पूर्वी गेर पर आराजी सख्या 2205/306 कुआं है। कुऐ से आराजी संख्या 2024/306 की पूर्वी गेर का गाप करने पर 31 फिट आया। जिसमें एक केलुपोस (पक्की दीवारे) मकान बना हुआ है। जो खेती कार्य के दौरान काम में लिया जाता है। मकान के कौने से आराजी संख्या 2024/306 की मेर की दूरी 6 फिट है। आराजी संख्या 2024/306 की पूर्वी तरफ खातेदार भूमि पर नहर का धोरा निकल रहा है। जिसमें सिचाई के दौरान पानी आता है। इस प्रस्तावित रास्ते का रकबा 1.07 बीघा है। द्वितीय विकल्प के रूप में वादीग्राम धामनिया की आबादी भूमि में से निकल कर ग्राम विकास पंचायत की चारागाह भूमि में 13 बिस्वा भूमि का उपयोग करते हुए आराजी संख्या 309/1 रकबा 0.005 के दक्षिणी पश्चिमि कोने से आराजी संख्या 310 रकबा 0.055 के पश्चिमी मेड़ पर होकर वादी अपने खेत पर पहुँच सकता है। जो लधुतम है। उक्त आराजी नम्बर जगदीश चन्द्र पिता नन्दराम ब्राहमण निवासी धामनिया के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वाद में उक्त खातेदार पक्षकार नही है। इस प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0.19 बिरवा है। प्रथम विकल्प के रूप 1.07 बीघा भूमि व द्वितीय विकल्प के रूप 0.19 बीघा भूमि का उपयोग रास्ते के रूप में होगा जिसमें 0.15 बिरवा भूमि सिचाई विभाग की गे0मु0 नहर व 0.13 बिरवा भूमि ग्राम विकास पंचायत की चारागाह भूमि है। जिसकी डी.एल.सी. दर 390060 रू. प्रति बीघा से क्रमशः 1053162 व 741114 बनती है। वादी जिस भूमि जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

लिए रास्ता चाह रहा है वह भूमि प्रतिवादी सोहनलाल पिता केसरीमल महाजन से खरीदी गई है। प्रतिवादी सोहनलाल पिता केसरीमल महाजन विकल्प नम्बर 1 से आ रहे है। 2206/306 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 2024/306 व 2093/306में से रास्ते हेतु मांग किया है। प्रार्थी के आराजी पर पहुंचने के लिये मांगा गया रास्ता लघुतम नही है। उक्त भूमि पर पहुँचने के लिए अप्रार्थी के खाते की भूमि कुल किता 12 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग में ली जायेगी। रास्ते हेतु उपयोग में आने वाली 12 बीघा भूमि का उपयोग होगा व खातेदारी भूमि का वैकल्पिक रास्ता हेतु उपयोग होगा जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 129987 रूपये प्रति बीघा से 77992 रूपये दुगुनी से 155985 रू. बनती है।

दिनांक 17.02.2021 को पत्रावली पेश हुई। हमने सर्वपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जगाबन्दी सम्वत् 2072–75, दिनांक 20.02.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए मौके पर वर्तमान में आराजी संख्या 2206/306 पर पहुंचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 2024/306 व 2093/3069 में से रास्ते हेतु मांग किया है। दिनांक 20.02.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अपनी रिपोर्ट में रास्ता चरागाह एवं नाला में से होना एवं अन्य रास्ता होना अवगत करवाया। जिससे प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रार्थी द्वारा अपने आराजी पर पंहूचने हेतु चाहा गया रास्ते पर नहर/नाला एवं ग्राम विकास पचांयत की चारागाह भूमि होने के कारण रास्ता दिया जाना उचित नही है। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 17.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Utsah Chaudhary
Date: 2021.04.12 14:17:07 IST
Reason: SelfAttested